

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-03/2021-

पटना, दिनांक- / /2025

डा० मीनू शरण, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक-05.02.2025 से 28.03.2025 तक की अवधि में विदेश (सैन-होसे, अमेरिका) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० शरण विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेगी।
3. डा० शरण इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगी।
4. डा० शरण विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेगी।
5. डा० शरण को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होगी।
6. डा० शरण विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

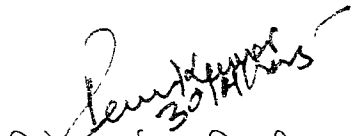
ज्ञापांक-17/एल 1-03/2021- 115(17)

/पटना, दिनांक-30/01/2025

प्रतिलिपि:- महप्रलेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० मीनू शरण, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।